



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

संयुक्त राष्ट्र
संघ

पत्रांक- 3163 /12-1 देहरादून:
सेवा में,

दिनांक: २४ फरवरी, 2025

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।
वन अनुभाग-3

विषय:- जनपद-बोगेश्वर के अन्तर्गत खडलेख डाना टिकटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 है०
वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No.-FP/UK/ROAD/10511/2015)

सन्दर्भ:- उत्तराखण्ड शासन का पत्र सं० 805/X-4-16/1(231)/2016 दिनांक 12-08-2016।

महोदय,

प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 400/12-1(2) दिनांक 30-07-2024 से वन संरक्षक, उत्तरी कुमांउ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 390/12-1(2) दिनांक 06-08-2024 से सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 27-02-2025 को निम्नानुसार प्रेषित की गई है-

क्र०सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.5 है० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जाएगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 3.5 है० ग्राम हडबाड सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 11,80,144.00 ग्यारह लाख अस्सी हजार एक सौ चवालिस) मात्र की धनराशि NEFT/RTGS के माध्यम से UTR no. SBIN5202107303525983 दिनांक 30-07-2021 द्वारा जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-1) साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 3.5 है० ग्राम हडबाड, सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं० 66/छब्बीस वन/2016-17 दिनांक 07-12-2016 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। (संलग्नक-2)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु० 20,22,284.00 (बीस लाख बाईस हजार दो सौ चौरासी) मात्र का भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से UTR No. SBIN5202107303525983 दिनांक 30-07-2021 द्वारा जमा की जा चुकी है (संलग्नक-1 के अनुसार)

3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रु0 11,49,750.00 (ग्यारह लाख उन्पचास हजार सात सौ पचास) NEFT/RTGS के माध्यम से UTR No. SBIN5202107303525983 दिनांक 30-07-2021 द्वारा जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय की वचबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत किया गया है। (संलग्नक-3) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की संशोधित दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि का रु0 6,09,368.00 (छः लाख नौ हजार तीन सौ अड़सठ) मात्र NEFT/RTGS के माध्यम से UTR No. 6016020240202411486 दिनांक 02-02-2024 द्वारा जमा की जा चुकी है चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-4)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार की पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय लेखा संख्या-एस0बी0-25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत मान्य होगी।	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि NEFT/RTGS के माध्यम से UTR No. SBIN5202107303525983 दिनांक 30-07-2021 द्वारा रु0 43,52,178.00 (तैतालीस लाख बावन हजार एक सौ अठहत्तर) मात्र जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-1 के अनुसार)

6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन हेतु सहमत हैं। (संलग्नक-5)
7	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-6)
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने के स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण उक्त शर्त हेतु सहमत है।
9	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण उक्त शर्त हेतु सहमत है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु प्रस्ताव अपने स्तर से भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,



(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या-214/12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
- 2- अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट।



(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 390 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 6-8-2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद-बागेश्वर के अन्तर्गत खडलेख डाना टिकटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 है०
वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/10511/2015)

सन्दर्भ :- उत्तराखण्ड सरकार का पत्रांक सं० 805/ X-4-16/1(231)/2016 दिनांक 12.08.2016

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के संबंध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन
आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 400/12-1-2 दिनांक 30.07.2024
द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- तीन प्रतियों में।

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

पंजी० सं० 777
पत्रावली 121
दिनांक 20-8-24

भवदीय

(डॉ० विनय भार्गव)
वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

प्रभारी बागेश्वर
आ० का० के०

20-8-24

102 AUG 2024 22/8/24

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं०:- 05963-220249 फैक्स नं०:- 05963-220209

पत्रांक
सेवा में,

400

/ 12-1-2

बागेश्वर

दिनांक : 30/7/2024

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :-

जनपद-बागेश्वर के अन्तर्गत खडलेख डाना टिकटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/10511/2015)

सन्दर्भ:-

उत्तराखण्ड सरकार का पत्रांक सं० 805/x-4-16/1(231)/2016 दिनांक 12.अगस्त.2016।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद-बागेश्वर के अन्तर्गत खडलेख डाना टिकटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :-

क्र० सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.5 है० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 3.5 है० ग्राम हडबाड सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० 11,80,144.00 मात्र (रू० ग्यारह लाख अस्सी हजार एक सौ चौवालीस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN 5202107303525983 Dtd 30.07.2021 द्वारा किया जा चुका है। (संलग्न-1) साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 3.5 है० ग्राम हडबाड, सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं० 66/छब्बीस वन/2016-17 दिनांक 07.12.2016 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। (संलग्न-2)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रू० 20,22,284.00 मात्र (रू० बीस लाख बाईस हजार दो सौ चौरासी मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN 5202107303525983 Dtd 30.07.2021 द्वारा किया जा चुका है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०पी०सी०-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन०पी०वी० की धनराशि UTR No. SBIN 5202107303525983 Dtd 30.07.2021 द्वारा रू० 11,49,750.00 मात्र (रू० ग्यारह लाख उनचास हजार सात सौ पचास मात्र) जमा की जा चुकी है (संलग्न-1) के अनुसार।
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी०	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने

की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

हेतु वचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त प्रस्ताव में अतिरिक्त एन0पी0वी की बढ़ोत्तरी धनराशि UTR No. 6016020240202411486 Dtd 02.02.2024 से जमा करवाली गयी है (चालान की प्रति संलग्न) (संलग्न-2)

5 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5-3 / 2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय लेखा संख्या-एस0बी0-25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0बी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No. SBIN 5202107303525983 Dtd 30.07.2021 द्वारा रू0 43,52,178.00 मात्र (रू0 तैतालीस लाख बावन हजार एक सौ अठहत्तर मात्र) जमा की जा चुकी है (संलग्न 0 के अनुसार)।

6 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन हेतु सहमत है। (संलग्न-4)

7 प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।

प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्न-5)

8 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

शर्त संख्या 08 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

9 उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

शर्त संख्या 08 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

संलग्न-चार प्रतियों में

भवदीय,

(दीपक सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. - 05963.253385 (0)

पत्रांक 1158 / 2ई०

दिनांक 21 / 05 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषय:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत खडलेख डाना टिकटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.750 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।
(FP/UK/ROAD/10511/2015)

सन्दर्भ:- उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं० 805 / X-4-16 / 1(231) / 2016 दिनांक 12 अगस्त, 2016
महोदय,

उत्तराखण्ड शासन देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत खडलेख डाना टिकटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.750 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है, जिस कम में बिन्दुवार अनुपालन आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्र० सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.50 है० सिविल सोयम भूमि का क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इस वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वनभूमि घोषित किये जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रभावित होने वाले वृक्षों के दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा सूचित धनराशि रु० 3522669.00 एवं रु० 1149750.00 दिनांक 30.07.2021 को चालान सं० SBINR 5202107303525983 द्वारा जमा करा दी गयी हैं। छायाप्रति संलग्न है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 2 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा आंकलित की गयी एन०पी०वी० की धनराशि रु० 1149750.00 मात्र दिनांक 30.07.2021 को चालान सं० SBINR 5202107303525983 द्वारा जमा करा दी गयी है। छायाप्रति संलग्न है।

दिनांक 24/5/2024
12-1-2
पु

3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा उल्लिखित शर्तानु एन0पी0वी0 आदि की धनराशि हेतु प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर से प्राप्त डिमांड नोट को नोडल अधिकारी कार्यालय में ऑन लाइन प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात अनुमोदन उपरान्त ऑन लाइन ई-चालान जनरेट क कुल धनराशि रु0 4352178.00 का भुगतान चालान सं SBINR 5202107303525983 Dated 30.07.2021 द्वारा जमा कर दिया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	बिन्दु सं0 4 हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नये दरों पर एन0पी0वी0 की धनराशि रु रु0 6,09,368.00 UTR No 601602024020241148 दि0 02.02.2024 द्वारा जमा कर दी गयी है। बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों की धनराशि का आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑन लाइन अपलोड करेगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाइन सत्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति पैधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाइन प्रक्रिया से प्राप्त चालान के अनुसार जमा करेगा। तत्पश्चात म्यूटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा जिसकी पुष्टि नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाइन किया जायेगा। तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित ऑन लाइन अपलोड करेगा। जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत् स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑन लाइन/हार्ड कॉपी प्रेषित किया जायेगा।	शर्त संख्या 4 व 5 के अनुपालन में उक्त देय धनराशि RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation fund (CAF) कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली जमा करायी जानी थी परन्तु बिन्दु संख्या 3 के अनुसार भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन उपरोक्त देय धनराशि रु0 4352178.00 का भुगतान ऑन लाइन ई-चालान जनरेट कर दिनांक 21.07.2021 पर किया जा चुका है। भुगतान की पुष्टि हेतु बैंक से प्रा 6016020240202411486 Dated 02.02.2024 छायाप्रति संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	बिन्दु सं0 6 हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत भूवैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से पालन क सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	(3) बिन्दु सं0 8 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
9	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	बिन्दु सं0 9 हेतु मान्य है।

संलग्न-अनुपालन आख्या 4 प्रतियों में।

अध्यापक
21/10/24
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट

पत्रांक

/2ई0

दिनांक

/05/2024

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता ^{IV} लो0नि0वि0 कपकोट को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com dfo_bageshwar03@gmail.com

दूरभाष/फैक्स नं० : 05963-220249 फैक्स नं० 05963-220209



पत्रांक 1439 / 12-1-2

बागेश्वर, दिनांक : 7 / 11 / 2020

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०विभाग,
कपकोट।

विषय -

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत खडलेख डाना टिकटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है।

1. उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश संख्या 805/x-4-16/1(231)/2016 दिनांक 12.08.2016।

2. उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का ऑकलन प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक क -972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 के द्वारा निर्धारित दरो के कम में वर्ष 2020-21 के वसूली वर्ष हेतु किया गया है। अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाईन कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क०सं०	मद	क्षेत्रफल	ई०को० क्लास	धनत्व	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन०पी०वी०	1.75 है०	5	0.3	6,57,000.00	11,49,750.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	3.5 है०	"-"	"-"	3,37,184.00	11,80,144.00
3	सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण	4.00 कि०मी०	"-"	"-"	5,05,571.00	20,22,284.00

Shukla
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
५

7/21/2021

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 21-07-2021

Agency Name.	PWDKAPKOT
Application No.	6110511188
MoEF/SG File No.	1(231)/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address.	C.D.P.W.D.KAPKOT Bageshwar
Amount(In Rs)	4352178/-

Amount In Words : Forty-Three Lakh Fifty-Two Thousand One Hundred and Seventy-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896110511188 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi - 110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through ch
even after 7 working days, then kindly mail a copy of
Email: cb0371@unionbankofindia.com

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोडि रोड
कपकोट

SBINR\$202107303525983

SBINR

forestclearance.nic.in/UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD105

7(11)

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोडि रोड
कपकोट (बागेश्वर)

30 JUL 2021
महानगर

आदेश

उप जिलाधिकारी, बागेश्वर की आख्या/रिपोर्ट दिनांक 02 दिसम्बर 2016 के आधार पर जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट अन्तर्गत बनार-डाना-टिकटा मोड़ मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 1.750 है० की दुगुनी अवनत भूमि 3.500 है० जो ग्राम हड्डाड पटवारी क्षेत्र आरे तहसील बागेश्वर जिले बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 77 के पैमाईशी खेत नम्बर 5008 मध्ये 0.181 है०, 5093 रकवा 0.448 है०, 5096 रकवा 0.304 है०, 5100 मध्ये 1.310 है०, 5101 मध्ये रकवा 1.257 है० कुल खेत 05 कुल रकवा 3.500 है० श्रेणी 9(3)ख(2) जंगल के रूप में दर्ज भूमि को मैं, जिलाधिकारी, बागेश्वर शासनादेश संख्या 2173/XVIII(11)/2012-18(120) /2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 805/X-4-16/ 1(231)/ 2016 दिनांक 12 अगस्त, 2016 में दी गयी शर्तों के अधीन उक्त वर्णित 3.500 है० भूमि को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/ नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर

संख्या - 66 / छबीस वन /2016-17 दिनांक 07/12/ 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1-प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

2-अधिसासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट।

3-उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।

4-तहसीलदार, बागेश्वर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण / नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

R No - 216/250 दि०-15/12/16

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (प्रमाण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Photo Copy Attested

14/12/16

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/10511/2015** योजना **जनपद-बागेश्वर के अन्तर्गत खडलेख डाना टिकटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 है०** वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के लिये वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त ग्राम हडबाड में **3.5 है०** सिविल भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन/अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक संख्या 66/छब्बीस - वन /2016-17 दिनांक 07.12.2016 से हस्तान्तरित/आवन्तित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरास कर दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। उक्त भूमि श्रेणी 9 (खाते से बाहर की भूमि) (un measured Land) के अन्तर्गत 9(3)ख(2) के रूप में दर्ज हैं। जो कि अधिसूचना संख्या: 869-एफ/638 दिनांक 17.10.1893 के तहत संरक्षित वन घोषित है। (अधिसूचना संलग्न)

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

कार्यालय वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा
पत्रांक / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25, सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी बागेश्वर।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

REVENUE (FORESTS) DEPARTMENT

MISCELLANEOUS

2-11/

The 17th October 1893

569 F

No. 638.44- In exercise of the powers conferred on him by section 23 of the Indian Forest Act, VII of 1873, the Hon'ble the Lieutenant Governor of the North-Western Provinces and Chief Commissioner of Oudh is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the above mentioned Act, VII of 1873, applicable to the following forest lands waste lands which are not included in reserved forests:-

- (1) The forest lands and waste lands of the Garhwal District which do not form part of the measured areas assigned to villages.
- (2) The forest lands and waste lands of the Almora district, which do not form part of the measured areas of villages, and are not included in the demarcated protected forests known as-

Declared to be 'protected' by Notification No. 177 dated 26th February 1879 as revised by Notification No. 99, dated 1st January 1883

M-chor
Bhatronj
Siuni
Siun
Belakh
Kathalekh
Gania deoli
Karchuli
Chilianao.
Chaubattia.
Padholi
Dwarson.
Siehi Devi
Airedeo

- (3) The forest lands and waste lands of the Naini Tal subdivision of the Naini Tal district which do not form part of the measured areas of villages, and are not included in the demarcated protected forests known as-

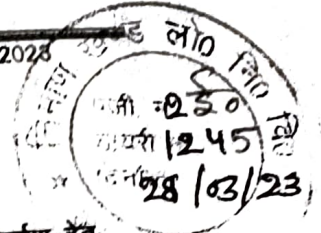
Declared to be 'protected' by Notification No. 149, dated 21st February 1879 as revised by Notification No. 133F dated 21 March 1887.

China
Badlakote
Nalua
Bhawal
Jakh.
Laria Kanta
Kuria

.....
TRUE COPY

(G. S. S. KHATI)
Asstt. to Addl. Chief Conservator of Forests,
Management,
U.P., Nainital.
dt. 12-4-1933

पत्रांक 3643 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 20 / 3 / 2023



सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०विभाग,
कपकोट।

विषय -

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट खडलेख डाना टिकटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
1.75 है० वन भूमि में अतिरिक्त एन०पी०वी० धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई
दिल्ली का पत्र संख्या 5+3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र कम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन०पी०वी० की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। (छाया प्रति संलग्न)

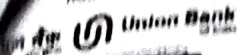
अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के कम में उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.08.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पाँच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अवशेष धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाइन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क्र० सं०	मद	क्षेत्रफल	ई०को० क्लास	धनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
1	एन०पी०वी०	1.75 है०	5	0.3	1005210.00	17,59,118.00	11,49,750.00	06,09,368.00
कुल योग						17,59,118.00	11,49,750.00	06,09,368.00

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

सं० 3643 / कपकोट खण्ड
28/3/23

ANNUITY COPY



Challan for collection of CAMPA fund

Date: 16/01/2024

Chart Code	CAM0000
Location	UTTARANCHAL
Remitter Name	PWT/KAPKOT
PF Application No.	6110611341
MoEFWD File No.	1(231)2016
Address	C.D.P.W.D KAPKOTE Begusar
Remitter Contact No.	9639377612
Mobile No.	9639377612
Landline No.	9639377612
Amount(In Rs)	609360/-
Beneficiary Branch and Code	Union Bank Of India FCB Centre, 21/1, B Floor, Jettie Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words Six Lakh Nine Thousand Three Hundred and Sixty Eight Rupees Only

Depositor Signature
(Signature)

Bank Official
(Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
---------------------------	--------------

- Branches should use CMS menu (FCB & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/D.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: hel:
Note After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated
even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionba

Print

Back



Challan for collection of CAMPA fund

Date: 16/01/2024

Chart Code	CAM0000
Location	UTTARANCHAL
Remitter Name	PWT/KAPKOT
PF Application No.	6110611341
MoEFWD File No.	1(231)2016
Address	C.D.P.W.D KAPKOTE Begusar
Remitter Contact No.	9639377612
Mobile No.	9639377612
Landline No.	9639377612
Amount(In Rs)	609360/-
Beneficiary Branch and Code	Union Bank Of India FCB Centre, 21/1, B Floor, Jettie Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words Six Lakh Nine Thousand Three Hundred and Sixty Eight Rupees Only

Depositor Signature
(Signature)

Bank Officer
(Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
---------------------------	--------------

- Branches should use CMS menu (FCB & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/D.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

Photo copy Attested

प्रमाणित अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोड नो 10
कपकोट (बागेश्वर)

UTRMO 6016020240202411486

Date 02-02-2024



<https://forestclearance.nic.in/useraccount/GenerateChallanCorp.aspx?pid=ROAD106112015341&1>

Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1 FP/UK/ROAD/10063/2015 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10063/2015) Anushu to Baskuna Motor Road(4.00km)	ROAD100632015879	6110063879	07 Sep 2015	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 224294/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 224294/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 11 Jan 2024 Nodal Officer On Bank Name : Bank Of India Union Mode of Payment : Bank Of India (Challan) Challan Generated On : 16 Jan 2024 Transaction Date : 02 Feb 2024	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/231220231136594625_FPUKROAD10063)
2 FP/UK/ROAD/10070/2015 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10070/2015) Pothing to Sobhakund Motor Road(5.00)	ROAD100702015937	6110070937	30 Oct 2015	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 504662/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 504662/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 11 Jan 2024 Nodal Officer On Bank Name : Bank Of India Union Mode of Payment : Bank Of India (Challan) Challan Generated On : 16 Jan 2024 Transaction Date : 02 Feb 2024	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/231220231142521458_FPUKROAD10070)
3 FP/UK/ROAD/10120/2015 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10120/2015) Construction of Gogena Kimu Motor Road(7.00 Km)	ROAD1012020155906	61101205906	04 Nov 2016	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 853115/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 853115/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 11 Jan 2024 Nodal Officer On Bank Name : Bank Of India Union Mode of Payment : Bank Of India (Challan) Challan Generated On : 16 Jan 2024 Transaction Date : 02 Feb 2024	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/231220231126143348_FPUKROAD10120)
4 FP/UK/ROAD/10468/2015 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10468/2015) Construction of Kameri Devi to Jhakra motor road (Length 3.00km)	ROAD104682015551	6110468551	12 Aug 2016	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 511869/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 511869/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 11 Jan 2024 Nodal Officer On Bank Name : Bank Of India Union Mode of Payment : Bank Of India (Challan) Challan Generated On : 16 Jan 2024 Transaction Date : 02 Feb 2024	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/231220231146413199_FPUKROAD10468)
5 FP/UK/ROAD/10511/2015 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10511/2015) Construction of Khadlek-Bhanar-Dana-Tikta Motor Road (4.00km)	ROAD105112015341	6110511341	12 Aug 2016	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 609368/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 609368/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 11 Jan 2024 Nodal Officer On Bank Name : Bank Of India Union Mode of Payment : Bank Of India (Challan) Challan Generated On : 16 Jan 2024 Transaction Date : 02 Feb 2024	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/231220231152299439_FPUKROAD10511)

3-111

वचनबद्धता

3/11/11

योजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत खडलेख डाना टिकटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.750 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

वचनबद्धता

शेल्डन-4

योजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत खडलेख डाना टिकटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.750 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों /शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

परियोजना का नाम :-

खेलान-5

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम भनार
तहसील कपकोट जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र
जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में जिला भनार के क्षेत्र में खेलान-5 परियोजना के निर्माण हेतु (डाना टिकटा 4 राम मोर)
हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.610 हे0 सिविल सोयम भूमि 1.40 हे0, वन पंचायत भूमि 1.610 हे0) अर्थात् कुल 1.750 हे0 वन भूमि का ला. नि. वि. 64/01 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भनार द्वारा दिनांक 28.8.14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भनार के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ला. नि. वि. 64/01 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव

सत्यम चन्द
वन पंचायत टिकटा भनार
को-साजी जिला-बागेश्वर



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

नन्दो देवी
सदस्य

भनार
को-साजी जिला-बागेश्वर

पि. ए. चन्द

(3)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड
को-साजी जिला-बागेश्वर

Photo copy Attached

सत्यम चन्द
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

परियोजना का नाम :- खड़केय भन्दा डाना टिकटा मोटर मशीन

पेज-5

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कपकोट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कपकोट

उपखण्ड ~~खड़केय~~ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~खड़केय भन्दा डाना~~
~~टिकटा~~ (—) हे० आरक्षित वन भूमि, ~~X~~ हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 140 हे०
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1750 हे० वन भूमि) क
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ~~कपकोट~~) की दिनांक 28-1-15 के
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री —————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री ~~हनुमान सिंह टोखिया~~ उप जिलाधिकारी अध्यक्ष
- 2- श्री ~~सुनील कुमार~~ प्रमाणीय वनाधिकारी सदस्य
- 3- श्री ~~कलेश कुमार~~ सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य
- 4- श्री ~~सतीश~~ सी०डी०सी० क्षेत्र ~~भन्दा डाना~~ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि

~~खड़केय भन्दा डाना टिकटा मोटर मशीन~~ - 04 किमी

परियोजना हेतु 1750 हे० वन
भूमि ~~आ. नि. वि. कपकोट~~

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मांगला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रमाणीय वनाधिकारी, ~~बागेश्वर~~ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खंड
प्रोजेक्ट (वि०) कपकोट

Photo copy Attested
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त क प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप/जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- कपकोट
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप/जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- कपकोट
जनपद बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
निर्माण खंड
कपकोट

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खंड
कपकोट

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

दिनांक ६.८.२०१५ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ... अनार ...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री रतनासिंह पुत्र श्री देवान सिंह अनार टिका	रतनासिंह
2	श्री चंचलसिंह पुत्र श्री अनारसिंह	चंचलसिंह
3	श्री अनारसिंह पुत्र श्री अण्णासिंह	अनारसिंह
4	श्री अनारसिंह पुत्र श्री विद्यासिंह	अनारसिंह
5	श्री अनारसिंह पुत्र श्री अण्णासिंह	अनारसिंह
6	श्री अनारसिंह पुत्र अण्णासिंह	अनारसिंह
7	श्री अनारसिंह पुत्र अनारसिंह	अनारसिंह
8	श्री अनारसिंह पुत्र अनारसिंह	अनारसिंह
9	श्री अनारसिंह पुत्र अनारसिंह	अनारसिंह
10	श्री अनारसिंह पुत्र अनारसिंह	अनारसिंह
11	श्री अनारसिंह पुत्र अनारसिंह	अनारसिंह
12	श्री अनारसिंह पुत्र अनारसिंह	अनारसिंह
13	श्री अनारसिंह पुत्र अनारसिंह	अनारसिंह
14	श्री अनारसिंह पुत्र अनारसिंह	अनारसिंह
15	श्री अनारसिंह पुत्र अनारसिंह	अनारसिंह
16	श्री अनारसिंह पुत्र अनारसिंह	अनारसिंह
17	श्री अनारसिंह पुत्र अनारसिंह	अनारसिंह
18	श्री अनारसिंह पुत्र अनारसिंह	अनारसिंह
19	श्री अनारसिंह पुत्र अनारसिंह	अनारसिंह
20	श्री अनारसिंह पुत्र अनारसिंह	अनारसिंह

क्षेत्र- पंच
नान्दी देवी

सरपंच

ग्राम पंचायत टिकटा अनार
ए.७-लाथी जिला-बागेश्वर

Photo Copy of the
(3)



सदस्य
वि० ख० क० म० प०, प०-बागेश्वर

अपरोक्ष ग्राम पंचायत में स्वयं मेरे द्वारा अनारपाल प्रमाण पत्र में ग्राम वासियों की सहमति हो कर हस्ताक्षर करके ग.प. जिनमें ग्राम पंचायत की सदस्य बनने में कोई आपत्ति नहीं है

तहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड
कपकोट

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

क०
ज०
०० प०
कपकोट

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date...11.2.15.....at time.3.30...at Bageshwar in which application claiming rights in Dana Tikta area measuring 1.750 hect for the Construction of **Khadlekh Bhanar Dana Tikta motor road (4.00km)** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Dated:

photo copy attached
(फा)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड
कपकोट (बागेश्वर)

Deputy Commissioner Chairman
District Level Committee

विभागाध्यक्ष
कपकोट

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

परियोजना का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत खडलेख-भनार-डाना-टिकटा (4.00 किमी) मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत खडलेख-भनार-डाना-टिकटा (4.00 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 1.750 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

Photo copy checked

(M)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड
कपकोट

Photo copy Attested

(Signature)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

(Signature)
जिला अधिकारी
बागेश्वर

परियोजना का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत खडलेख-भनार-डाना-टिकटा (4.00 किमी) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत खडलेख-भनार-डाना-टिकटा (4.00 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 1.750 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड
कपकोट

जिलाधिकारी
बागेश्वर

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

(17)

Form-1
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

Dated... 10.1.15...

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's letter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.750 hectares of forest and proposed to be diverted in favor of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Khadlekh-Bhanar-Dana-Tikta motor road in distt Bageshwar** district falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.750 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexure.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent it;.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. Certificate prescribed in form 23-4 attached.

Enclosed- as above

photo अटिस्ट
महायक अभियन्ता
निर्माण खंड
कपकोट

Dated

Signature

(Bhupal Singh
District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector

Photo copy Attested

महायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोड नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

Form-II
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

NO.....

Dated... 11.2.15...

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's letter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.750 hectares of forest and proposed to be diverted in favor of Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Khadlekh-Bhanar-Dana-Tikta motor road in distt-Bageshwer.

It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.750 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure.....to annexure.....
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: YES
- The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of Dana Tikta Village (s) is enclosed as annexure.....
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the ERA: NA

Encl: As above

सहायक अभियन्ता
निर्माण खंड
कपकोट

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो 0 नि 0 वि 0
कपकोट (बागेश्वर)

Bhupal Singh Mangal
District Collector
Bageshwar